फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)

रघुवीरसिंह **बनाम** राज० सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष : 135 /2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/7/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर ~~दौरे / अवकाश पर~~ (अन्य राजकार्य में व्यस्त) है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26/8/21 को पेश हो।	
	26.8.21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01.10.21 को पेश हो।	
	01/10/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26/10/21 को पेश हो।	
	26/10/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम सांदरसर में पेश हुई। पक्षकारान उप० शेष साक्ष्य हेतु समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य वादी दिनांक 23/12/21 को पेश हो।	रघुवीरसिंह करणसिंह गंगासिंह
	23/12/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04/02/22 को पेश हो।	
	04/2/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/2/22 को पेश हो।	
	22/2/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07/04/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	07/4/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश ... अग्रिम कार्यवाही हेतु ... 16/5/22 ... को पेश हो।	
	16/5/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य ... से पत्रावली गत ... 15/7/22 ... को पेश हो।	
	15/7/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/9/22 को पेश हो।	
	21/9/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/11/22 को पेश हो।	
	11/11/22	व.प्र.उप० / शेष साक्ष्य हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य वादी दिनांक 12/12/22 को पेश हो।	
	12/12/22	व.वादी उप० / वकील वादी शेष साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादी बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09/01/23 को पेश हो।	
	09/01/23	व. वादी उप० / बहस अंतिम सुनी गई / पत्रावली का अवलोकन किया गया। ... पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के सार शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक ... चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सह...
पीठासीन अ...
मा नं0:–135/202...
...र सिंह पुत्र बज...
जिला जयपु...

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—135 / 2020

उनवान

रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र 58 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकारजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
3. करण सिंह पुत्र बजरंग सिंह
4. गंगा सिंह पुत्र बजरंग सिंह
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
6. हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :—09.01.2020

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम सान्दरसर, पटवार हल्का सान्दरसर, भू0 अभि0 निरीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं जिला जयपुर आराजी भूमि खसरा नं0 341 रकबा 0.56 हैक्टेयर स्थित है, जिनके गत खसरा नं0 136 है। उक्त भूमि का राजस्व नक्शा व उक्त भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त है। विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा वादी उक्त आराजीयात् पर काबिज होकर अपने हिस्से 1/5 अनुसार उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कर रहा है इससे पूर्व वादी के पूर्वज उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते थे तथा लगान सरकारी जमा करवाते चले आ रहे थे। उक्त वर्णित भूमि के पूर्वी ओर सरकारी रास्ते की भूमि स्थिति है जिसके खसरा नं0 350 रकबा 0.08 हैक्टेयर है जिसके गत खसरा नं0 137 है, जो सरकारी रास्ता है, जो मौके पर पूर्व अनुसार ही चालू है। वादी की भूमि का वर्तमान राजस्व नक्शा तैयार करते समय सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

द्ध तरीके से वादी को बिना सुने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी सक्षम कार्यालय के आदेश के वर्तमान राजस्व नक्शे को पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार नहीं बनाया जाकर वादी की खातेदारी भूमि में काफी दबा दिया गया अर्थात् वादी की खातेदारी भूमि को कम कर दिया गया जबकि मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वादी ने अपनी खातेदारी भूमि के पूर्वी दक्षिणी कोने पर उत्तरी ओर देखता हुआ पुख्ता मकान बना रखा है तथा अपने पुख्ता मकान के पूर्वी ओर रास्ते की भूमि को छोड़कर पुख्ता पशुबाड़ा, टीनशेड व लेट बाथ बना रखे हैं जिनका वादी करीबन 30–40 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कर रहा है। सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार ही नया राजस्व नक्शा बनाने का अधिकार था किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार नया राजस्व नक्शा नहीं बनाकर वादी को उसके हक अधिकार की भूमि से महरुम करने की नियत से विधि विरुद्ध तरीके से वादी की भूमि के पूर्वी ओर स्थित रास्ते की भूमि को वादी की भूमि की ओर काफी दबा दिया गया। जिस कारण वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार बने हुए वादी के पुख्ता डण्डे, पशुबाड़ा, टीनशेड व लेटबाथ रास्ते की भूमि में गलत रुप से शामिल हो गये। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा तैयार नहीं किया गया जो सेटलमेन्ट विभाग की भयंकर कानूनी भूल है, जो समस्त इन्द्राजात अवैध, शून्य व बमुकाबले वादी शून्य व बेअसर है जिसका गलत होना प्रथम दृष्ट्या नक्शे से ही स्पष्ट होता है। दिनांक 13.10.2020 को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने बाबत् नोटिस प्रेषित किया गया तब वादी ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से सम्पर्क कर वर्तमान राजस्व नक्शे को पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने वादी को वर्तमान राजस्व नक्शे को पुराने राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त करने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को बेदखल कर वादी के पुख्ता डण्डे, पशुबाड़ा व टीनशेड एवं लेटबाथ को तोड़ने की धमकी दी गई जिस कारण वादी को उक्त नक्शा दुरुस्ती का वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण नक्शा दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर वादी की भूमि के पूर्वी दिशा की ओर दबाये गये राजस्व नक्शे को दुरुस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को गत [illegible] अनुसार बनाया जाकर राजस्व नक्शे में अमल दरामद किया [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें कि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 वर्तमान गलत [illegible] आधार पर वादी को उसके कब्जेकाश्त से जबरन बेदखल नहीं करें, ना ही वादी की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादी के पुख्ता डण्डे, पशुबाड़ा व टीनशेड एवं लेटबाथ को तोड़ें तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 मौके की स्थिति में किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वर्तन नहीं करें। उक्त समस्त कृत्य ना तो स्वयं करें तथा ना ही किसी सर्वेन्ट, एजेन्ट या वर्कमैन से ही करवायें।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में तहसीलदार, तहसील चौमूं से तलब की गई बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर दबाये गये राजस्व नक्शे को दुरुस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार बनाया जाकर राजस्व नक्शे में अमल दरामद करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व तहसीलदार, तहसील चौमूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्टके अवलोकन से यह स्पष्ट है किखसरा नं0 350 के पश्चिमी दिशा में खसरा नं0 341 की आकृति गत भू–प्रबन्धक की आकृति के अनुरुप न होकर छोटी है तथा खसरा नं0 350 रास्ते की चौड़ाई गत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा के खसरा नं0 137 के अनुसार चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। न्यायालय अभिमत में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर दबाये गये राजस्व नक्शे को दुरुस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार बनाया जाकर राजस्व नक्शे में अमल दरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित वादी की भूमि खसरा नं0 341 रकबा 0.56 हैक्टेयर, गत खसरा नं0 136 के पूर्वी दिशा की ओर दबाये गये राजस्व नक्शे खसरा नं0 350 रकबा 0.08 हैक्टेयर, गत खसरा नं0 137को दुरुस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार बनाया जाकर तदनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

डिक्री जारी हो। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0–135 / 2020
उनवान–रघुवीरसिंह बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक–09.01.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–135 / 2020

उनवान

रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र 58 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
3. करण सिंह पुत्र बजरंग सिंह
4. गंगा सिंह पुत्र बजरंग सिंह
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
6. हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह

समस्तजाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित वादी की [illegible] नं0 341 रकबा 0.56 हैक्टेयर, गत खसरा नं0 136 के पूर्व [illegible] की ओर दबाये गये राजस्व नक्शे खसरा नं0 350 रकबा 0.08 हैक्टेयर, गत खसरा नं0 137 को दुरुस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार बनाया जाकर तदनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

डिक्री जारी हो। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0–135 / 2020
उनवान–रघुवीरसिंह बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक–09.01.2023

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.01.2023 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा..........

दस्तखत........
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:26 IST
Reason: SelfAttested